Gwalior Food Safety Department News: नकली किनले ब्रांड सहित पानी की तीन अवैध फैक्ट्री सील

Gwalior Food Safety Department News: ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। गर्मी में पानी की खपत क्या बढ़ी, सेहत से खिलवाड़ करने वालों को मौका मिल गया। लाइसेंस न रजिस्ट्रेशन और ब्रांडेड पानी की कंपनियों की कापी कर अवैध कारोबार फलफूल रहा है। पानी की तीन अवैध फैक्ट्रियाें पर प्रशासन और फूड सेफ्टी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की और सील कर दिया। वीरपुर बांध क्षेत्र में बिना लाइसेंस व पंजीयन के पेयजल पैकिंग की अवैध फैक्ट्री सोमवार को फूड एंड सेफ्टी विभाग के अफसरों ने पकड़ ली।

यहां मौके पर कोई मैनेजर व केयर टेकर तक नहीं था, सिर्फ मजदूर काम में लगे थे। वीरपुर बांध क्षेत्र में काफी समय से यह अवैध कारोबार किया जा रहा था। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई और जब मालिक विवेक द्विवेदी मौके पर नहीं आया तो फैक्ट्री को तहसीलदार शारदा पाठक ने सील कर दिया। यहां से एक लीटर के 399 कार्टन, आधा लीटर के 154 कार्टन और ढाई सौ एमएल के 40 कार्टन मिले। मौके से सैंपलिंग भी की गई। वहीं एक फैक्ट्री राज ज्योति इंटरप्राइजेज नाम से शिवपुरी लिंक रोड पर भी सील की गई। शाम को झांसी रोड थाना पुलिस ने एक आटो रोका, जिसमें किनले ब्रांड की पानी की बोतलें जा रही थीं। पड़ताल के आधार पर पुलिस कांच मिल पहुंची, जहां इस नकली ब्रांड की फैक्ट्री मिली। यहां से तीन लोग मौके से भाग गए। यह भी सील कर दी गई।मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अपर कलेक्टर इच्छित गढ़पाले और अभिहीत अधिकारी अशोक चौहान के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। बृजेश शिरोमणि, गोविंद नारायण सरगैया, सतीश कुमार धाकड़ व सतीश शर्मा की टीम फर्म अमृत एक्वा व बेवरेजेस पर पहुंची, जहां मौके पर फर्म में अमृत एक्वा नाम से पानी की बोतलों की पैकिंग की जा रही थी। मौके पर कार्य कर रहे पांच कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो उनमें से दिनेश परमार व राहुल कुशवाहा द्वारा बताया गया कि इस फर्म के मालिक विवेक द्विवेदी हैं, जो कि अभी यहां नहीं हैं। अमृत एक्वा नाम से पैकिंग की जा रही बोतलों पर मैन्यूफेक्चरिंग पता- पुरानी छावनी लश्कर ग्वालियर अंकित था और बोतलों पर अंकित फूड लाइसेंस नं. आनलाइन सर्च किए जाने पर एक्सपायर्ड पाया गया। शिवपुरी लिंक रोड पर राज ज्योति इंटरप्राइजेज मालिक राजेंद्र सिंह तोमर की जांच की तो लाइसेंस नहीं मिला। यह भी सील की गई। वहीं फर्म लक्ष्मी आइसक्रीम मुरार ग्वालियर का निरीक्षण किया गया और यहां से मावा मलाई कुल्फी का नमूना लिया। इसके बाद कान्हा नाश्ता सेंटर चौहान प्याउ थाटीपुर मैदा व आलू की सब्जी के नमूने लिए।

Source: https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/gwalior-gwalior-food-safety-department-news-three-illegal-water-factory-seals-of-including-fake-kinlay-brand-7452488